15/01/25

पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। सुनी गयी बहस व विधिक प्रावधानों पर मनन किया गया। मैंने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् रिकार्ड संशोधन स्वीकार योग्य है अतः न्यायहित मे प्रार्थीगण का आवेदन बाबत् रिकार्ड संशोधन स्वीकार किया जाता है आदेश पृथक से टंकण करा शा० मिसल रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज)

पीठासीन अधिकारी : मोनिका सामोर, R.A.S.

प्रार्थना पत्र सं. 148 / 2022.

1. रतनलाल
2. कल्याणमल
3. श्रवण कुमार

—पुत्रगण नाथूराम जाति कुमावत निवासीगण नयाबास मण्ढा सुरेरा तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।

——प्रार्थीगण

ब ना म

1. पेमाराम
2. लालाराम
3. श्यामनारायण

—पुत्रगण बिड़दाराम जाति कुम्हार निवासीगण नयाबास मण्ढा सुरेरा तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।

4. राज्य सरकार जरिये:—तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र राजस्व रिकार्ड
(जमाबंदी व नक्शा ट्रेस) दूरूस्ती

उपस्थिति :—

1. श्री बेगाराम वर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

आदेश **दिनांक:15 / 01 / 2025.**

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :— यह है कि कृषि भूमियाँ खसरा नम्बर 353 रकबा 2.7700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 354 रकबा 1.800 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 4.7500 हैक्टेयर वाके ग्राम नयाबास पटवार हलका मंण्ढा—सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसकी खातेदारी नाथू, बिड़दा, काना पिता चतरा के नाम से राजस्व रिकार्डमें

दर्ज रही है। उक्त भूमियों का सहदृहिस्सेदारान के मध्य राजस्व अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर विधिवत बंटवारा होने पर नये खसरा नम्बर 354/1 रकबा 0.9900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 354/2 रकबा 0.9900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 353/1 रकबा 1.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 353/2 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 353/3 रकबा 0.9600 हैक्टेयर कायम किये गये है। यह है कि उपरोक्त भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 354/1 नाथू पुत्र चतरा के हक, हिस्से में आई हुई है। उक्त नाथू का स्वर्गवास हो चुका है एवं प्रार्थीगण/वादीगण उक्त नाथू के वारिशान है, नाथू की मृत्यु के बाद उक्त भूमि नये खसरा नम्बर 354/1 रकबा 0.9900 हैक्टेयर प्रार्थीगण / वादीगण के निर्बाध रूप से कब्जे, काश्त व उपयोग–उपभोग में आ रही है एवं भूमि खसरा नम्बर 354/2 रकबा 0.9900 हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के निर्बाध रूप से कब्जे, काश्त व उपयोग–उपभोग में चली आ रही है। मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य सींव–नींव एवं कब्जे, काश्त को लेकर आपस में कोई वाद–विवाद नही है। यह है कि कालान्तर में उपरोक्त भूमियों का विभाजन के आधार पर नक्शा ट्रेश तैयार करते समय भू–प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल एवं लापरवाही से अथवा संहवन से नक्शा ट्रेश में वादीगण की भूमि के खसरा नम्बर 354/1 के स्थान पर पर 354/2 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की भूमि खसरा नम्बर 354/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 354/1 कायम कर दिये गये जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। हालांकि उक्त भूमियों के कब्जे, काश्त को लेकर मौके पर पक्षकारान के मध्य कोई वाद–विवाद नहीं है एवं राजस्व रिकार्ड में रकबा भी बराबर है परन्तु नक्शा ट्रेश में खसरा नम्बरों में अदला–बदली हो जाने से भविष्य में पक्षकारान

के मध्य विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो गई है एवं वादीगण अपने हक, हिस्से की भूमियों पर किसी भी प्रकार की राजकीय सहायता, अनुदान प्राप्त करने से भी वंचित हो रहे है इसलिए खातेदारो के मध्य भविष्य में अनावश्यक मुकदमेंबाजी को बढ़ावा मिलने की भी पूरी–पूरी संभावना उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में वादीगण को यह वाद बाबत् नक्शा ट्रेश में दुरूस्ती का नियोजन किया जाना आवश्यक हुआ है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमियों खसरा नम्बर 354/1 व 354/2 तन नयाबास के नक्शा ट्रेश में दुरूस्ती की जाकर मौके पर पुराने कब्जे, काश्त के आधार पर वादीगण के कब्जे, काश्त की भूमि के खसरा नम्बर 354/1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की कब्जे, काश्त की भूमि के खसरा नम्बर 354/2 कायम कर इस आशय की नक्शा ट्रेश में दुरूस्ती के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण के सम्बंध में तहसीलदार दांतारामगढ़ से रिपोर्ट तलब की गयी जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये अन्त में निवेदन किया कि तहसीलदार महोदय, दांतारामगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में शुद्वि किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

4. बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार दांतारामगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2024/6260 दिनांक 26/11/2024 का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट है कि वाके ग्राम नयाबास प0ह0 मण्ढा सुरेरा तहसील दांतारामगढ के भूमि खसरा संख्या 354/2 कल्याणमल, रतनलाल व श्रवण कुमार पुत्र नाथूराम जाति कुमावत के नाम तथा खसरा संख्या 354/1 पेमाराम, लालाराम, श्यामनारायण पुत्र बिड़दाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) के नाम दर्ज किये जाने की हद तक आंशिक रुप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी व नक्शा ट्रेस) दूरूस्त किये जाने आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम नयाबास प0ह0 मण्ढ़ा–सुरेरा तह0 दांतारामगढ के वर्तमान राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी व नक्शा ट्रेस) में अंकित खसरा नम्बर 354/1 के स्थान पर 354/2 अंकित किये जाने व खसरा नम्बर 354/2 के स्थान पर 354/1 अंकित/दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन हेतु तहसीलदार दांतारामगढ़ को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 15/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

(मोनिका सामोर)
उपखण्ड़ अधिकारी, दांतारामगढ़